अतिआवश्यक अल्पकालिक निविदा

32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ में रिक्रूटो के प्रशिक्षण हेतु निम्न कार्यो को मानक मद –25 लघु निर्माण कार्य के अन्तर्गत कुल रू0 41,98.000–00 धन आवंटित किया गया है। उक्त आवंटित अनुदान के अन्तर्गत वाहिनी में निम्नलिखित कार्य वित्तीय 2025–26 में कार्य कराया जाना है।

3– सर्व साधारण निविदादाताओ को सूचित किया जाता है कि 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के कार्यालय आकर निविदा फार्म प्राप्त कर वित्तीय वर्ष 2025–26 में मानक मद–25 लघु–निर्माण कार्य निम्नानुसार कराया जाना है।

क0	पत्रावली संख्या	कार्य का विवरण	आगणन की धनराशि
1–	भ– 46 /25	32वीं वाहिनी पीएसी में 06 अदद यूरिनल का निर्माण कार्य	रू0 2,70,000–00
2–	भ– 45 /25	32वीं वाहिनी पीएसी में प्रशिक्षुओ हेतु हौज एवं टीन शेड का निर्माण कार्य	रू0 6,32,000–00
3–	भ– 44 /25	32वीं वाहिनी पीएसी में 06 अदद स्क्वायड पोस्ट मय टीन शेड का निर्माण कार्य	रू0 11,97,000–00
		सम्पूर्ण योग	रू0 20,99,000/–

अतः उपरोक्त सभी कार्यो को कराये जाने हेतु निविदा दिनांक 04–6–2025 से दिनांक 10–06–2025 तक **प्रातः 10 बजे से सायंकाल 17.00 बजे तक** आमंत्रित की जाती है, निविदा दिनांक 11–06–2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा गठित कमेटी के समक्ष समस्त निविदादाताओं के समक्ष समय 1230 बजे के मध्य खोली जायेगी। इच्छुक ठेकेदार दिनांक 04–06–2025 से 10–06–2025 तक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के प्रधान लिपिक कार्यालय में उपस्थित होकर किसी भी कार्यदिवस में टेण्डर फार्म प्राप्त कर सकते है।

निविदा की शर्ते

1. निविदा फार्म दिनांक–04–06–2025 से 10–06–2025 तक प्रातः 10:00 बजे से सायंकाल 17.00 बजे के मध्य किसी भी कार्य दिवस में **कार्य संख्या 01 से 03 तक के लिए निर्धारित शुल्क रू0–500/– प्रत्येक कार्य** हेतु पत्रावली पर जमा कर प्रधान लिपिक कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
2. उपरांकित प्रत्येक कार्य हेतु अलग–अलग निविदा **दिनांक– 11–06–2025 को 12.00 बजे तक** कमेटी अध्यक्ष के समक्ष सभी निविदादाताओ द्वारा डाली जायेगी। **निविदा के साथ ठेकेदार 02 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी लिफाफे में भरकर डालेगा।**
3. निविदा के साथ सम्बन्धित फर्म को प्रस्तावित कार्य का स्पेसिफिकेशन, उपयोगिता, कार्य पूर्ण करने की अवधि आदि स्पष्ट विवरण/चार्ट संलग्न करना होगा। साथ ही सम्बन्धित फर्म को निविदा के साथ **अपने आयकर रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, चरित्र प्रमाण–पत्र एवं ठेकेदारी रजिस्ट्रेशन की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। ठेकेदारी रजिस्ट्रेशन 06 माह के पूर्व न हो, इस बात को निविदादाता/ठेकेदार ध्यान में अवश्य रखेगा।**
4. निविदा न्यूनतम दर के सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार की जायेगी।
5. ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार/फर्म निविदा नहीं डाल सकेंगे। निविदा दाता को निविदा के साथ इस आशय का प्रमाण–पत्र/शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि उनकी फर्म ब्लैक लिस्टेड नहीं की गयी है। **किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास रहेगा।**

अपर पुलिस अधीक्षक
पी०ए०सी० मुख्यालय, उ०प्र०
लखनऊ।
09/06/25

पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय)
पी०ए०सी० मुख्यालय उ०प्र०
लखनऊ
11-06-25

6. उक्त कार्यों से सम्बन्धित शर्त निर्देश एवं आगणन, 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के कार्यालय में उपलब्ध है। इच्छुक फर्मे किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर इसकी जानकारी नोटिस बोर्ड पर चस्पा अल्पकालिक निविदा शर्तो के अनुसार प्राप्त कर सकते है।

7. वह ठेकेदार जिसका टेण्डर स्वीकृत किया जायेगा, वह तत्काल अनुबन्ध पत्र भरेगा। ऐसा न करने पर अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और स्वीकृत रद्द कर दी जायेगी।

8. ठेकेदार निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व कार्य का भली–भाँति निरीक्षण कर ले, तथा कार्य की जानकारी प्राप्त कर लें अन्यथा बाद में इस सम्बन्ध में इस कार्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

9. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

10. विलम्ब अथवा रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

11. ठेकेदार को एक प्रतिशत जीएसटी एवं एक प्रतिशत सीजीएसटी स्वीकृत धनराशि से कटौती करने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा।

12. **चालू वित्तीय वर्ष में कार्य निविदा स्वीकृत होने एवं कार्यादेश निर्गत होने के एक माह में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।**

13. निविदा अधोहस्ताक्षरी अथवा उनके द्वारा नामित कमेटी अध्यक्ष एवं सदस्यों (राजपत्रित अधिकारियो) द्वारा दिनांक **11–06–2025** अर्थात **उसी दिन दोपहर 12:30 बजे** खोली जायेगी।

14. निविदा स्वीकृति के पश्चात अनुमानित लागत की 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी।

15. वह व्यक्ति/ठेकेदार जिसकी निविदा स्वीकृत की जायेगी कार्य पूर्ण करने का अनुबन्ध पत्र 07 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने पर जमानत धनराशि जब्त कर निविदादाता की निविदा रद्द कर दी जायेगी। वह व्यक्ति/ठेकेदार जिसकी निविदा स्वीकृत कर ली गयी है। वह कार्य प्रारम्भ करने के आदेश में विलम्ब होने की दशा में अपनी निविदा को परिवर्तित करने का दावा नहीं कर सकेगा।

16. बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास समस्त अथवा किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार पूर्णरूप से सुरक्षित होगा।

17. वह व्यक्ति/ठेकेदार जिसकी निविदा अन्तिम रूप से स्वीकार कर ली जायेगी। वह अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी आदेश की तिथि/अनुबन्ध में अंकित तिथि से कार्य प्रारम्भ करेगा। तथा नियत तिथि पर कार्य पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेगा।

18. अधोहस्ताक्षरी न्यूनतम/अधिकतम निविदा को स्वीकार/अस्वीकार/ निविदा निरस्त करने के लिए स्वतन्त्र होगा। अधोहस्ताक्षरी उसका कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

19. यदि ठेकेदार के विषय में अवांछनीय गतिविधि प्रकाश में आती है तो उसको नोटिस देकर उसका अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

20. ठेकेदार द्वारा यदि पानी, बिजली का उपभोग किया जाता है तो नियमानुसार उपभोग की धनराशि जमा करनी होगी। अन्यथा अन्तिम भुगतान से उक्त धनराशि की कटौती की जायेगी।

21. ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उपरोक्त कार्यो को पूर्ण नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में पेनाल्टी धनराशि अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित की जायेगी। जो ठेकेदार को किये जाने वाले भुगतान से कटौती की जायेगी।

22. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र जनपद–लखनऊ होगा।

23. निविदा स्वीकृत हो जाने के **उपरान्त एक माह में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।** ऐसा करने में असफल रहने की स्थिति में पेनाल्टी के तौर पर धनराशि निर्धारित की जायेगी।

निविदाता कार्य को निर्धारित की गयी एक माह की अवधि में पूर्ण करने में ठेकेदार असफल रहता है, तो निविदादता/ठेकेदार अद्योहस्ताक्षरी से 15 दिवस के अतिरिक्त समय की मांग कर सकता है।

पत्र संख्या--भ-- /2025
दिनांक– जून 03 ,2025

(प्राची सिंह)
सेनानायक,
32वीं वाहिनी पीएसी
लखनऊ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. अपर पुलिस अधी० पीएसी मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि निविदा का प्रकाशन उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर कराने का कष्ट करें। (सी0डी0 संलग्न)
2. पुलिस महानिरीक्षक पीएसी मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
3. पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मध्य जोन उ0प्र0 लखनऊ।
4. पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी , लखनऊ अनुभाग, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग/जिला उद्योग अधिकारी जनपद–लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए प्रचार–प्रसार कराने का भी कष्ट करें।
6. सेनानायक, 35वीं वाहिनी पीएसी/विशेष सुरक्षा बल/विशेष सुरक्षा परिक्षेत्र जनपद–लखनऊ।
7. पुलिस अधीक्षक जनपद–बाराबंकी/उन्नाव/रायबरेली/हरदोई/सीतापुर।
8. सेनानायक,02/11/27/25/10 जनपद–सीतापुर/रायबरेली/बाराबंकी/एपीटीसी/पीटीसी जनपद–सीतापुर।
9. कमेटी अध्यक्ष उपसेनानायक/कमेटी सदस्य सहायक सेनानायक/शिविरपाल, 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को सूचनार्थ एवं नियत तिथि पर टेण्डर की कार्यवाही करने हेतु।
10. आंकिक को सूचनार्थ एवं निविदा की शर्तो अधीन अपेक्षित कार्यवाही किये जाने हेतु।
    जोनल अवर अभियन्ता, पीएसी मध्य जोन उ0प्र0 लखनऊ।